14.05.2024

पत्रावली पेश हुई।
उभयपक्षकारान् वकील उपस्थित।
प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 अंतर्गत आदेश 7 नियम 11, 10 सपठित धारा 151 सी0 पी0 सी0 वास्ते वाद पत्र नामंजूर करने उभयपक्षकारान् के अधिवक्ताओं की विस्तारपूर्वक बहस सुनी गई। उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया।
अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 अंतर्गत आदेश 7 नियम 11, 10 सपठित धारा 151 सी0 पी0 सी0 वास्ते वाद पत्र नामंजूर करने वादग्रस्त आराजी ग्राम मीठड़ा खूर्द नया गांव लोलों की बेरी के खसरा संख्या 334, 335 में 1. वादीनी को वाद कारण नामान्तकरण अपील के समय दिनांक 16.07.1984 को हो गया। वाद सन् 2021 में वाद पेश किया हैं जो वाद करीबन 37 वर्ष बाद पेश किया हैं वाद में बिना सहमति नामान्तकरण पारीत होने की बात गलत अंकित हैं क्योंकि बाद में सहमति से नामान्तकरण अपील को विड्रो की है। वाद में अपील का हवाला नहीं दिया है। इसलिए वादीनी को हस्तगत वाद लाने हेतुक प्रकट नहीं होता है। 2. ईकरारनामा व वसीयतनामा निरस्त करवाये बिना हस्तगत वाद हाजा में चलने योग्य नहीं हैं इसलिए वाद विधि द्वारा वर्जित हैं। वाद हाजा न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार के क्षैत्र में नहीं आता है, वाद सिविल न्यायालय क्षैत्राधिकार का आता हैं। 3.वादीनी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है, कब्जे के अभाव में हस्तगत वाद हाजा न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। 4. वादीनी के हस्तगत प्रकरण/वाद का हाजा न्यायालय के द्वारा पूर्व में निर्णयन किया जा चुका हैं तथा पुनः हाजा न्यायालय में ही वादीनी द्वारा प्रकरण/वाद पत्र संस्थित किया हैं जो कि विधि की प्रचलित मंशा के अनुरूप नहीं हैं। धारा 11 रेस– ज्युडिकेटा के समस्त बिन्दु हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होते हैं वाद चलने योग्य नहीं [illegible] स्वःअर्जित सम्पत्ति में वादीनी का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होना हैं इसलिए [illegible] चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र भली–भांति साबित होने, विधि सम्मत होने एव सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। हस्तगत वाद पत्र खारीज /नामंजुर किया जाता है। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। मूल वाद खारीज होने से हस्तगत प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर जमा हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:46:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना